

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण देहरादून ।

(अनाधिकृत निर्माण/विकास कार्य को सील करने हेतु आदेश)

पत्रांक 2300 / वाद संख्या सी-0690 / एस-3 / 2024

दिनांक 15-10-24

मौ० अब्दूल राशीद,

हरिपुर नवादा माजरी माफी नियर

यू०के० ग्रामीण बैंक देहरादून ।

विपक्षी मौ० अब्दूल राशीद, हरिपुर नवादा माजरी माफी नियर यू०के० ग्रामीण बैंक देहरादून के द्वारा बिना मानचित्र स्वीकृति के लगभग 12 गुणा 15 फीट के क्षेत्र में भूतल पर दुकान व दुकान के ऊपर भूतल पर निर्माण कार्य करने के कारण प्राधिकरण विकास क्षेत्र में उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश योजना एवं विकास अधिनियम 1973) संशोधन अधिनियम 2009 की धारा 14 में निर्दिष्ट बिना स्वीकृति निर्माण किया गया है। अनाधिकृत निर्माण के प्रत्यावेदन के आधार पर विपक्षी को उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम की धारा 27(1) व 28(1) के अन्तर्गत दिनांक 25-09-2024 को कारण बताओ नोटिस एवं अधिनियम की धाराओं के अधीन विकास निर्माण कार्य रोकने के आदेश जारी करते हुए वाद संख्या सी-0690/एस-3/2024 योजित किया गया। उक्त वाद में सुनवाई हेतु दिनांक 1-10-2024 व 8-10-2024 की तिथियां नियत की गयीं। उक्त तिथियों पर विपक्षी उपस्थित हुए परन्तु विपक्षी द्वारा कोई सन्तोषजनक उत्तर नहीं दिया गया है साथ ही वर्तमान समय तक कोई शमन मानचित्र जमा नहीं किये गये हैं। अवर अभियन्ता/सहायक अभियन्ता की आख्या दिनांक 10-10-2024 के द्वारा अवगत कराया गया है कि विपक्षी द्वारा लगातार कार्य जारी रखे हुए हैं, जिस कारण उक्त वाद में सील आदेश पारित करने की संस्तुति की गयी है। इस से स्पष्ट होता है कि विपक्षी वाद को जानबुझकर लम्बित रखना चाहते हैं। उक्त वाद को लम्बित रखना न्याय हित में उचित नहीं है।

इस प्रकार स्पष्ट है कि आप द्वारा उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 की धारा 14 में निर्दिष्ट स्वीकृति से भिन्न निर्माण कार्य किया गया है। पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों के अवलोकन उपरान्त यह निष्कर्ष निकलता है कि उत्तराखण्ड प्रदेश (उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973) संशोधन अधिनियम 2009 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत उल्लंघन किया गया है। चालान शुद्धा निर्माण को सील किये जाने के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प शेष नहीं रह जाता है।

Abdul Razvi

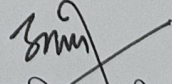
Signature

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों के अध्ययन उपरान्त आपके अवैध निर्माण के विरुद्ध सीलिंग के आदेश पारित किया जाना ही विधि सम्मत है।

आदेश

मौ० अब्दूल राशीद, हरिपुर नवादा माजरी माफी नियर यू०के० ग्रामीण बैंक देहरादून के द्वारा बिना मानचित्र स्वीकृति के लगभग 12 गुणा 15 फीट के क्षेत्र में भूतल पर दुकान व दुकान के ऊपर भूतल पर निर्माण कार्य करने के कारण प्राधिकरण विकास क्षेत्र में उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश योजना एवं विकास अधिनियम 1973) संशोधन अधिनियम 2009 की धारा 14 में निर्दिष्ट बिना स्वीकृति निर्माण किया गया है। उक्त प्रकरण में धारा 28 क, के अन्तर्गत सील आदेश पारित किये जाते हैं। प्राधिकरण द्वारा उक्त चालान शुदा अवैध निर्माण को दिनांक 21-10-27 को सील किया जाना है।

विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि सील की तिथि से पूर्व उक्त सम्पूर्ण परिसर को खाली कर दें, तथा स्थल पर उपस्थित रह कर सील की कार्यवाही निष्पादित करायें। विपक्षी की अनुपस्थिति में सील की कार्यवाही एक तरफा सम्पादित हों, विपक्षी को यह भी निर्देश दिया जाता है कि स्थल पर कोई कार्य न करे एवं स्थल पर लगाई गयी सील को न तो क्षतिग्रस्त करें और न होने दें। क्योंकि उक्त कृत्य शासकीय कार्य में बाधा डालना एवं सरकारी सम्पति को क्षति पहुंचाने के सम्मान है जो कि कानून दण्डनीय अपराध है। आदेश की एक प्रति स्थल पर चस्पा हो तथा एक प्रति विपक्षी को तामिल की जाये।


अधिशारी अभि० / पीठासीन अधिकारी,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण
देहरादून।

